

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म	नाम..... मु.नं. 18/23 (7.5)	कोलाश (7.5)
----------------	--------------------------------	----------------

01/10-24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राज ठाढ़े हेतु हार्कीट जयपुर पधारे जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली इकांजुला दिनांक 18-10-24 को पेश हो गई।

18/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकील साधु अण्डियारा अप्रार्थीगण की तलवी तलवाना सम्मन उप्राप्त। साधु वकील की हिदायत दी जाती है कि वह अप्रार्थीगण की तलवी करिये Regd AD तलवाना सम्मन आवश्यक रूप से पेश करे अन्यथा तलवाना सम्मन पेश नहीं होने पर स्वतः ही क्रिमि कार्यवाही इकाल में लाई जावेगी। पत्रावली वाला तलवी दिनांक 29-11-24 को पेश हो गई।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

29-11-24 पत्रावली पेश हुई। प्लाकारम को अड-2 कार्यालय डिलवर्ड गई। आग्र पत्रावली अनुपस्थित रही। अप्रार्थीगण के सम्मन तलवाने करिये रजिस्टर्ड डाक प्रत्यक्ष करने के लिए निर्देशित किये जाने के बावजूद साधु द्वारा सम्मन तलवाना करिये Regd AD आदिनांक लख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। स्पष्ट है साधु इस प्र.पत्र में किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं हैं। इसलिए प्र.पत्र साधु की अज्ञात हजरी व अज्ञात पेशगी में स्थगित किया जाता है। कौर प्र.पत्र में जारी शान्तिम अस्थाई निवेदाना दिनांक 26.5.2023 के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली कंसल शुभार होकर शरिफ फ़र हो गई।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)